

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर लोक सभा क्षेत्र) के सांसद निधि के अधीन अनुशंसित योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-825 दिनांक-11.07.2017, पत्रांक-178 दिनांक-10.03.2018 एवं पत्रांक-560 दिनांक-11.05.2017 द्वारा तकनीकी अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है। माननीय सांसद ने पत्रांक-1105 दिनांक-17.08.2017 द्वारा प्राप्त प्राक्कलन पर सहमति प्रदान की गयी है तथा जिला योजना पदाधिकारी, पटना द्वारा राशि भी प्राप्त है।

सम्यक विचारोपरांत तकनीकी अनुमोदन के आलोक में स्तम्भ 5 में योजना पर अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। योजना कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में निविदा माध्यम से कराई जाएगी। माननीय सांसद को कार्य प्रारंभ करने एवं शिलान्यास/उद्घाटन की तिथि से अवगत करायेंगे।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रखंड	तकनीकी स्वी० राशि (रूपये में)	प्रशासनिक स्वी० राशि (रूपये में)	विमुक्त की जा रही राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
01	पूर्वी पाटम के गढीरामपुर में उच्च माध्यमिक विद्यालय से अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र तक पी०सी०सी० का निर्माण	जमालपुर	1499900.00	1499900.00	1124925.00
02	खजुरिया ग्राम में बजरंगबलीस्थान से जवाहर सिंह के घर तक पी०सी०सी० रोड व नाला का निर्माण	धरहरा	1008500.00	1008500.00	756375.00
03	ईटवा ग्राम में मिलन पटेल के घर से सहदेव पंडित के घर तक सड़क के दोनों तरफ नाला का निर्माण	धरहरा	1499100.00	1499100.00	1124325.00
04	जमालपुर प्रखंड अन्तर्गत फरदा गांव में हाई स्कूल एवं म०वि० के प्रांगण में चारदिवारी का निर्माण गेट सहित	जमालपुर	732000.00	732000.00	549000.00
योग-			4739500.00	4739500.00	3554625.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि म०-3554625.00 (पैंतीस लाख चौब्वन हजार छः सौ पचीस) रू० मात्र।

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर निम्नलिखित शर्तों के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।

शर्तें-

- कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।

5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद्, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसक रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो, किसी भी परिस्थिति में निजी/रैयती जमीन पर योजना कार्यान्वित नही करायी जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वर्णित कार्य पिछले पांच वर्षों से किसी अन्य मद से नही कराया गया हो।
10. यदि संबंधित भूमि गैरमजरूआ आम ज्ञात होती है तो कार्यान्वयन एजेंसी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि राज्य सरकार के स्तर से, भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
11. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।
12. योजना स्थल अंशतः या पूर्णतः वन क्षेत्र में पड़त हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।
13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो।

६०/२

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 578 / जि0यो0, दिनांक 23-8-18

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

प्रतिलिपि- नाजिर, जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक नियमानुसार कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को इस्तगत कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि- माननीय सांसद, श्रीमती वीणा देवी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।